



संविधान दिवस (Samvidhan Diwas)

संविधान दिवस – 26 नवंबर
भारतीय संविधान को अपनाने का दिवस

PM SHRI GSSS UJHANA

संविधान दिवस क्या है?

- हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है।
- 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया।
- यह हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों की याद दिलाता है।

संविधान निर्माता

- डॉ. भीमराव अम्बेडकर – ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष
- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद – संविधान सभा के अध्यक्ष
- जवाहरलाल नेहरू – उद्देशिका प्रस्ताव
- सरदार वल्लभभाई पटेल और कई अन्य महान नेताओं का योगदान

भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ

भारत एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है।

मौलिक अधिकार

मौलिक कर्तव्य

स्वतंत्र न्यायपालिका

दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक

मौलिक अधिकार और कर्तव्य

मौलिक अधिकार

समानता का अधिकार
स्वतंत्रता का अधिकार
शोषण के विरुद्ध अधिकार
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
संस्कृति और शिक्षा का अधिकार
संवैधानिक उपचार का अधिकार

मौलिक कर्तव्य:

संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और
राष्ट्रगान का सम्मान
पर्यावरण की सुरक्षा
राष्ट्रीय एकता एवं सद्भाव बनाए
रखना
सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा

हम संविधान दिवस क्यों मनाते हैं?

संविधान के प्रति सम्मान और जागरूकता बढ़ाने के लिए
छात्रों में जिम्मेदार नागरिक की भावना जगाने के लिए
लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए

THANK YOU

Presented By:
SH. WAZIR SINGH
PGT (Political Science)